न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 87/2014 G.C.M.S. No. 2014/00112 दर्ज दिनांक : 01.12.2014

अपीलार्थी:

1. हजारीसिंह पुत्र पन्नेहसिंह जाति रावत, निवासी खीवल माडीया भोमडाई तहसील रायपुर जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. स्व. नाथुसिंह पुत्र मोतीसिंह के का.मु.–
   1/1 बुधसिंह पुत्र स्व. नाथुसिंह
   1/2 गणपतसिंह पुत्र स्व. नाथुसिंह
   1/3 फुली देवी पत्नी स्व. नाथुसिंह, जातिगण रावत, निवासीगण बाडोता की पोल रायपुर जिला ब्यावर।
   1/4 मीरा देवी पुत्री स्व. नाथुसिंह पत्नी मोहनसिह रावत, निवासी गाँव सतरूगीया गजनाई, जिला पाली।
   1/5 संतोष देवी पुत्री स्व. स्व. नाथुसिंह पत्नी धन्नेसिंह रावत, निवासी थल गजनाई जिला पाली।
   1/6 पुना देवी पुत्री स्व. नाथुसिंह पत्नी चम्पासिंह रावत, निवासी मणो का बाडीयां, छोटी कालम, पचानपुरा जिला ब्यावर।
   1/7 कंचन देवी पुत्री स्व. नाथुसिंह पत्नी मोहनसिह रावत, निवासी सालरावा छोटी कालब, पचानपुरा जिला ब्यावर।
2. अमरा पुत्र बादर जाति देवासी, निवासी खीवल तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
3. राजेन्द्र बंसल पुत्र महावीर प्रसाद बंसल निवासी 1/43, 44 आर.ए. एस.डी कोलोनी, भिवांडी जिला अलवर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 154/2008 बअनवान हजारीसिंह बनाम नाथुसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2014 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 154/2008 बअनवान हजारीसिंह बनाम नाथुसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अपीलान्ट के द्वारा एक राजस्व वाद सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण में पेश किया जो ट्रांसफर होकर एस. डी. ओ. रायपुर को प्राप्त हुआ। अपीलान्ट वादी के द्वारा वाद में यह निवेदन किया कि खसरा संख्या 2504/2, 543, 2495 व वाद में वर्णित खसरान में नाथ सिंह का 1/48 हिस्से में 1/5 हिस्सा है व सभी खातेदारान अपने अपने हिस्से पर काश्त करते हैं, नाथुसिंह के बन्ट में 6 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि आती हैं। परन्तु वाद दायरी के वक्त से 44–45 वर्ष पूर्व वादी के पिता का कब्जा काश्त रहा है व चाची (अपीलान्ट) के हक हकूक है। इस कारण से कब्जा होने के कारण अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं व इसके संबंध में एक लिखत 05.06.2000 की पेश की व निवेदन किया कि वादी के हक में डिक्री फरमाई जाये। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट (प्रतिवादी) की तामील हुई परन्तु जवाबदावा पेश नहीं किया गया अपीलान्ट के द्वारा अपनी ओर से साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किया परन्तु अदालत मातहत के द्वारा एग्रीमेन्ट टू सेल अपंजिकृत होने के कारण इसी आधार पर वाद खारिज कर दिया परन्तु डिक्री पर्चा नहीं बनाया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि यदि अदालत मातहत के समक्ष अपंजिकृत इकरार नामा उपलब्ध था तो धारा 35 राजस्थान स्टाम्प नियम के अनुसार कमी मुद्रांक पूरी करने के लिये कलक्टर मुद्रांक के यहां भेजा जाना चाहिए था। इस दस्तावेज का आधार लेकर जो वाद वादी खारिज किया गया है यह विधि विरूद्ध है। जिस स्टाम्प का आधार लेकर खारीजल किया गया है उक्त दस्तावेज प्रदर्शित भी नहीं था। जो दस्तावेज प्रदर्शित नहीं होता है उसको आधार बनाकर वाद का निस्तारण किया जाना कानूनी भूल है। मातहत अदालत के द्वारा सिर्फ अपंजिकृत इकरारनामा पर ही अपना निर्णय दिया गया व वाद खारिज कर लौटाया गया व सिविल वाद करने के निर्देश पारित किये गये यहां यह बताया जाना न्यायोचित है कि पुराने कब्जे के आधार पर था, व साक्ष्य भी पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने की थीं तो वाद रेवेन्यू कोर्ट के सुनवाई के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत था व टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान ही लागू होते हैं, बेस ऑफ सुट इकरारनामा नहीं था, इस कारण से जो वाद खारिज कर सिविल न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाया गया, यह विधि विरूद्ध है। वादी (अपीलान्ट) के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं की ओर से साक्ष्य पेश की गई व अपने कब्जे के समर्थन में व वाद को साबित करने के लिये भैरूसिंह व बादरसिंह की साक्ष्य भी पेश की गई, इन मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलान्ट का वाद साबित था व गावाहों के द्वारा 44–45 वर्षो से अपीलान्ट का व इससे पूर्व अपीलान्ट के पिता का कब्जा होना साबित किया तो अदालत मातहत के सामने वाद को डिक्री करने के अलावा मौखिक अथवा दस्तावेजी सबूत नहीं था, फिर भी निर्णय अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी जैतारण में

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पैरवी करते हैं व रायपुर में भी पैरवी हेतु उपस्थित आते हैं। दिनांक 05.06.2014 को जो निर्णय सुनाया इसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थीं। निर्णय की जानकारी हेतु कई बार अधिवक्ता प्रार्थी गया परन्तु यह कहा गया कि निर्णय अभी तक नहीं लिखाया गया है। निर्णय हेतु पेशी दिनांक 06.08.2014 मुकर्रर की गई थीं व इस तारीख तक भी मुकदमें के फैसल होने की जानकारी नहीं दी गई व तत्पश्चात निर्णय की तारीख में कांट–छांट कर बैक डेट में 05.06.2014 तारीख पेशी दर्ज की व निर्णय बताया गया। इस तरीके से अपील पेश करने में जो देरी हुई हैं, जो निर्णय नहीं सुनाने से हुई हैं। जब निर्णय की जानकारी प्रार्थी को नहीं थीं व कॉपी भी प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुई तो प्रार्थी प्रतिलिपि प्राप्त नहीं कर सका। प्रार्थी भी कई बार निर्णय की जानकारी हेतु अधिनस्थ न्यायालय में गया, परन्तु जानकारी प्राप्त नहीं हुई। वाद के खारिज होने की जानकारी प्रथम बार दिनांक 01.09.2014 को हुई व नकल हेतु दिनांक 01.09.2014 को आवेदन किया व नकल दिनांक 02.09.2014 को प्राप्त हुई तत्पश्चात नकल लेकर प्रार्थी अपने अधिवक्ता के पास गया व अधिवक्ता द्वारा पाली में अपील पेश करने हेतु कहा गया व अपील जानकारी से पेश की जा रही हैं, जो अन्दर म्याद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में एक वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2014 को खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 10.10.2014 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि दिनांक 05.06.2014 को जो निर्णय सुनाया इसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थीं। निर्णय की जानकारी हेतु कई बार अधिवक्ता प्रार्थी गया परन्तु यह कहा गया कि निर्णय अभी तक नहीं लिखाया गया है। निर्णय हेतु पेशी दिनांक 06.08.2014 मुकर्रर की गई थीं व इस तारीख तक भी मुकदमें के फैसल होने की जानकारी नहीं दी गई व तत्पश्चात निर्णय की तारीख में कांट–छांट कर बैक डेट में 05.06.2014 तारीख पेशी दर्ज की व निर्णय बताया गया। इस तरीके से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील पेश करने में जो देरी हुई हैं, जो निर्णय नहीं सुनाने से हुई हैं। जब निर्णय की जानकारी प्रार्थी को नहीं थीं व कॉपी भी प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुई तो प्रार्थी प्रतिलिपि प्राप्त नहीं कर सका। प्रार्थी भी कई बार निर्णय की जानकारी हेतु अधिनस्थ न्यायालय में गया, परन्तु जानकारी प्राप्त नहीं हुई। वाद के खारिज होने की जानकारी प्रथम बार दिनांक 01.09.2014 को हुई व नकल हेतु दिनांक 01.09.2014 को आवेदन किया व नकल दिनांक 02.09.2014 को प्राप्त हुई तत्पश्चात नकल लेकर प्रार्थी अपने अधिवक्ता के पास गया व अधिवक्ता द्वारा पाली में अपील पेश करने हेतु कहा गया व अपील जानकारी से पेश की जा रही हैं, जो अन्दर म्याद है। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की गैर मौजूदगी में हुआ है। अतः निर्णय दिनांक से अपीलांट को जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यमान है। जिसके निर्णयन के लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। विलंब अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. वादपत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट द्वारा वस्तुतः अपंजीकृत व अनस्टांप्ड लिखत दिनांक 05.06.2000 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट निर्णय द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने तथा इकरारनामे के संबंध में अनुतोष व विधिक कार्यवाही का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने के आधार पर वादपत्र खारिज किया गया। हमारे विनम्र मत में अपंजीकृत व अनस्टांप्ड लिखत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र के संबंध में वादी के पक्ष में वादकारण ही उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसी कथित लिखत के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर को विचारण को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं। जब तक इकरारनामा को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं करवा दिया जाता, तब तक ऐसी कथित लिखत के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वांछित अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे इकरारनामे के क्रियान्वयन से संबंधित वादपत्रों के विचारण व निर्णयन का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। अतः वादपत्र क्षेत्राधिकार के साथ–साथ विधि द्वारा भी वर्जित है। अतः विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादपत्र खारिज करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner